जन सुनवाई के लिए पर्यावरणीय प्रभाव आकलन रिपोर्ट का सारांश

आयरन ओर बेनेफिसिएशन प्लांट (1.2 एम.टी.पी.ए)

ग्राम- कुनकुनी (रॉबर्टसन रेलवे स्टेशन के पास),

तहसील-खरसिया, जिला-रायगढ़, छत्तीसगढ़-496661

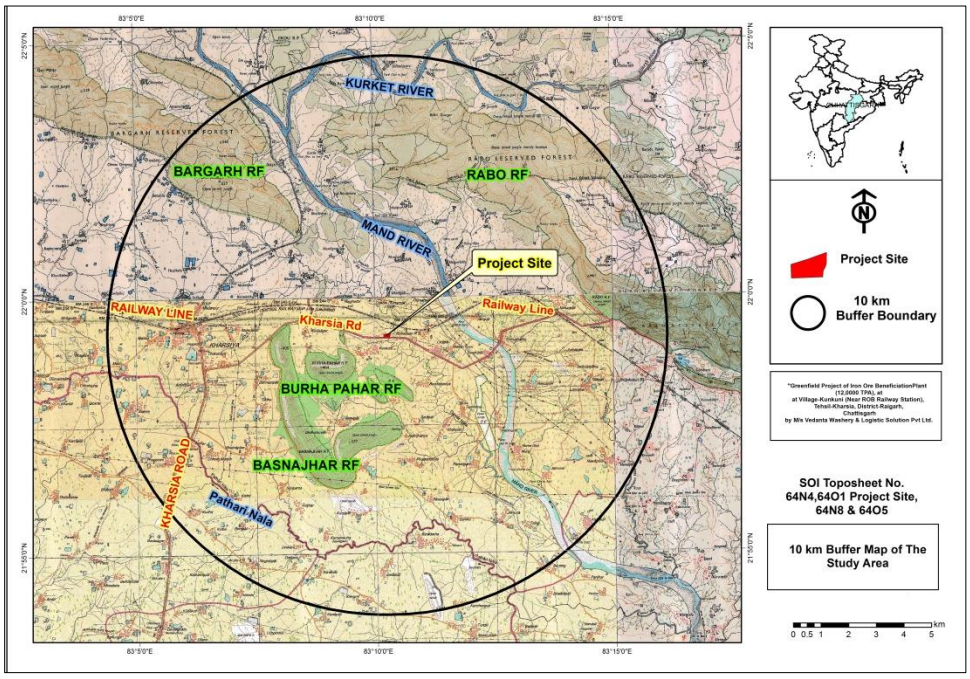

<u>द्वारा प्रस्तुत</u>

मेसर्स वेदांत वाशरी एंड लॉजिस्टिक्स सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड

पहली मंजिल, दुकान संख्या 45/46, चैतन्य नगर, कृष्णा कॉम्प्लेक्स,

रायगढ़ -496001, छत्तीसगढ़

नवंबर-2021

विषय–सूची

क्र. सं.	विवरण	पृष्ठ संख्या
1.0	परियोजना विवरण	3-5
2.0	पर्यावरण का विवरण	6-8
3.0	प्रत्याशित पर्यावरणीय प्रभाव और शमन के उपाय	8-9
4.0	पर्यावरण निगरानी कार्यक्रम	9-10
5.0	अतिरिक्त अध्ययन	10
6.0	परियोजना के लाभ	10-11
7.0	पर्यावरण प्रबंधन योजना	11-12
8.0	कंसलटेंट	12-13

1.0 परियोजना विवरण

M/s वेदांता वाशरी एंड लॉजिस्टिक सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड., एक निजी लिमिटेड कंपनी है जिसे श्री सुशील कुमार सिंघल, श्री अनुभव सिंघल और श्री सूर्यकान्त अग्रवाल द्वारा प्रचारित किया जाता है। कंपनी ने ग्राम कुनकुनी (रॉबर्टसन रेलवे स्टेशन के पास), तहसील-खरसिया, जिला-रायगढ़, छत्तीसगढ़-496661 में 1.2 एम.टी.पी.ए क्षमता का आयरन ओर बेनेफिसिएशन प्लांट (प्रस्तावित किया है। प्रस्तावित परियोजना के लिए उपलब्ध कुल भूमि रेलवे साइडिंग क्षेत्र सहित 15.630 हेक्टेयर है।

प्रस्तावित परियोजना ई.आई.ए (EIA) अधिसूचना, 2006 और आज तक के संशोधन के अनुसार अनुसूची 2 (बी) खनिज लाभ के तहत 'ए' श्रेणी के अंतर्गत आती है और ई.ए.सी (Industry -1), एम.ओ.ई.एफ और .सीसी, (MoEF&CC) नई दिल्ली द्वारा मूल्यांकन की जाएगी।

परियोजना स्थल ग्राम-कुनकुनी, तहसील-खरसिया, जिला-रायगढ़, छत्तीसगढ़ में स्थित है। परियोजना स्थल रायगढ़-खरसिया सड़क से लगा हुआ है निकटतम रेलवे स्टेशन रॉबर्टसन रेलवे स्टेशन है, जोकि परियोजना स्थल से पूर्व दिशा की ओर लगभग 0.5 किमी की दूरी पर स्थित है। रायगढ़ शहर परियोजना स्थल से दक्षिण पूर्व दिशा की ओर लगभग 24.0 किमी की दूरी पर स्थित है। निकटतम महत्वपूर्ण हवाई अड्डा वीर सुरेंद्र साई हवाई अड्डा, झारसुगुडा, ओडिशा है, जो परियोजना स्थल से पूर्व दिशा में लगभग 85 किमी की दूरी पर स्थित है। मांड नदी परियोजना स्थल से पूर्वोत्तर दिशा की ओर 2.8 किमी की दूरी पर स्थित है और कुरकेट नदी पूर्वोत्तर दिशा की ओर 8.5 किमी है। मौजूदा संयंत्र क्षेत्र में कोई नदी नहीं है लेकिन परियोजना स्थल मौसमी नाला (दंतर नाला) से सटी हुई है । परियोजना स्थल के भीतर कंपनी की अपनी निजी रेलवे साइडिंग है, जिसका उपयोग अंतिम उत्पाद के परिवहन के रूप में किया जाएगा। संयंत्र क्षेत्र में कोई गांव या मानव बस्ती नहीं है। कोई भी राष्ट्रीय उद्यान/अभयारण्य संयंत्र क्षेत्र

परियोजना स्थल के 5 किमी के दायरे में नहीं आता है। परियोजना क्षेत्र भूकंपीय क्षेत्र 3 में आता है जो इंजीनियरिंग और निर्माण के अधीन है, कोड का पालन करेगा।

यह स्थल निर्देशांक 21°59'18.12"N. से 21°59'15.97"N. और 83° 10'19.88"E से 83° 10'10.72"E से घिरा है।

इससे पहले परियोजना को 1.2 एम.टी.पी.ए आयरन ओर बेनेफिसिएशन प्लांट के लिए एम.ओ.ई.एफ.एंड.सी.सी से फाइल संख्या:-J-11011/164/2019-IA.ll.(I), दिनांक:-20.05.2019 के माध्यम से टी.ओ.आर (ToR) प्रदान किया गया था।

इस बीच, परियोजना प्रस्तावक ने अपनी योजना बदल दी थी और आयरन ओर बेनेफिसिएशन प्लांट के साथ-साथ पेलेटाइजेशन की सुविधा भी जोड़ दी थी। तो, टी.ओ.आर संशोधन फॉर्म एम.ओ.ई.एफ & सी.सी से फाइल नंबर- lA-J-11011/164/2019-IA.ll (I), दिनांक: -8.10.2020 को प्राप्त किया गया था।

इसके बाद, फिर से परियोजना की योजना बदल दी गई है और 5.13 हेक्टेयर क्षेत्र में 1.2 एमटीपीए के आयरन ओर बेनेफिसिएशन प्लांट के रूप में अंतिम विन्यास बनाते हुए पेलेट प्लांट की सुविधा को हटाने का प्रस्ताव किया गया।

तदनुसार, दूसरा टी.ओ.आर संशोधन (Amendment) एम.ओ.ई.एफ.&.सी.सी से फाइल नंबर-**J-11011/164/2019-IA.ll (**आई), दिनांक:-06.08.2021.

इसके बाद ड्राफ्ट पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन रिपोर्ट (Draft EIA) बनाई गयी है और जन सुनवाई आयोजित करने के लिए एस.पी.सी.बी को प्रस्तुत किया गया था। जन सुनवाई आयोजित करने के लिए अंग्रेजी और हिंदी में सारांश और डी.ई.आई.ए (DEIA) रिपोर्ट प्रस्तुत गयी है। जनसुनवाई की प्रक्रिया के दौरान प्राप्त टिप्पणियों और सुझावों को अंतिम ई.आई.ए रिपोर्ट में शामिल किया जाएगा। अंतिम

ई.आई.ए रिपोर्ट जन सुनवाई के बाद मूल्यांकन के लिए एम.ओ.ई.एफ & सी.सी (MoEF&CC) को प्रस्तुत की जाएगी।

कंपनी के पास उपलब्ध कुल भूमि 15.63 हेक्टेयर है और कंपनी के पास परियोजना स्थल के भीतर 10.50 हेक्टेयर भूमि पर अपनी परिचालन रेलवे साइडिंग है। अतः उसके बाद शेष भूमि का उपयोग प्रस्तावित परियोजना के लिए किया जाएगा, जो कि 5.13 हेक्टेयर है।

प्रस्तावित संयंत्र के लिए अनुमानित पानी की आवश्यकता 450 किलोलीटर प्रतिदिन है। पानी की आवश्यकता का स्रोत भूजल होगा जिसके लिए एनओसी सी.जी.डब्ल्यू.ए/एन.ओ.सी/आई.एन.डी/ओ.आर.आई.जी/2020/8118 दिनांक 08.06.2020 के तहत अनुमति प्राप्त की गई है। एन.ओ.सी 01.06.2020 से 31.05.2022 तक वैध है। स्ट्रोम वाटर की नालियों को अलग किया जाएगा और जल संचयन क्षेत्र में चैनलाइज किया जाएगा।

कुल कच्चे माल की आवश्यकता(लगभग में) मात्रा नीचे तालिका में दी गई है।

क्र.सं	**कच्चा माल**	**मात्रा (टी.पी.ए)**	**स्त्रोत**	**साइट से दूरी**	**परिवहन के साधन**
1	आयरन ओर बेनेफिसिएशन प्लांट (12,00,000 टी.पी.ए) के लिए - क्षमता के माध्यम से)				
a	निम्न ग्रेड लौह अयस्क फाइन	12,00,000	छत्तीसगढ़ / उड़ीसा	500-600 किमी	रेल और सड़क मार्ग से (ढके हुए ट्रकों के माध्यम से)
b	Flocculants	75	स्थानीय बाजार	50-100 किमी	टैंकरों द्वारा

परियोजना के लिए कुल 2 मेगावाट (MW) बिजली की आवश्यकता छत्तीसगढ़ राज्य विधुत बोर्ड से होगी। बिजली गुल होने पर आपातकालीन उपयोग के लिए 250 केवीए डीजी सेट संचालित किया जाएगा। प्रस्तावित इकाई के लिए कुल अनुमानित परियोजना लागत 70 करोड़ है।

2.0 पर्यावरण का विवरण

1 अक्टूबर 2020 से 31 दिसंबर 2020 तक सर्दियों के मौसम के दौरान बेसलाइन डेटा तैयार किया गया है । साइट के आसपास के 10 किमी क्षेत्र को अध्ययन क्षेत्र माना गया है। पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय और केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की मानक/अनुमोदित प्रक्रियाओं का पालन करके डेटा तैयार किया गया है। परियोजना स्थल पर हवा की गति, हवा की दिशा, सापेक्षिक आर्द्रता और तापमान मौसम संबंधी आंकड़े तैयार किए गया है । 8 स्थानों पर परिवेशी वायु की गुणवत्ता की जांच की गयी गई है। ध्वनि का स्तर 8 स्थानों पर मापा गया है। 8 स्थानों पर सतही जल की गुणवत्ता एकत्र की गई और जांच की गयी गई है; 8 स्थानों पर भूजल की गुणवत्ता जांच की गयी गई है। 4 स्थानों पर मिट्टी की गुणवत्ता जांच की गयी गई है। अध्ययन क्षेत्र में मौजूद पौधों और जानवरों के आंकड़े जिला वन विभाग से एकत्र किए गए है। जिला सांख्यिकी पुस्तिका और तहसील अभिलेखों से भूमि उपयोग, जनसांख्यिकी, व्यवसाय पैटर्न, फसल पैटर्न, बुनियादी सुविधाओं पर डेटा एकत्र किया गया है।

रायगढ़ जिले की सामान्य वार्षिक वर्षा 1240 मि.मी है। मार्च की शुरुआत से जून की शुरुआत तक, जब मानसून सेट होता है, गर्म पछुआ हवाएं चलती हैं। पश्चिमी हवाएं सूर्यास्त समय शांत हो जाती हैं और दक्षिण से ठंडी हवाएं चलने लगती हैं। जिले की जलवायु उष्णकटिबंधीय शुष्क उप आर्द्र है। अध्ययन क्षेत्र के दौरान औसत दैनिक न्यूनतम तापमान 8.4 डिग्री सेल्सियस से अधिकतम 24.5 डिग्री सेल्सियस तक रहता है। मार्च से मई शुष्क गर्मी है जो उष्णकटिबंधीय चक्रवाती तूफानों द्वारा हस्तक्षेप करती है। जून से सितंबर वेट गर्मी है जबकि अक्टूबर शरद ऋतु है। सर्दी का मौसम लगभग नवंबर के मध्य से शुरू होता है और फरवरी के अंत तक जारी रहता है।

PM2.5 मान 35.6 g/m3 से 50.9 g/m3 के बीच पाए गये हैं। PM10 65.4 g/m3 से 88.9 g/m3 के बीच पाए गये हैं। SO2 5.1 g/m3 से 10.6 g/m3 के बीच पाए गये हैं। NO2 11.1 g/m3 से 23.6 g/m3 के बीच पाए

गये हैं। CO 320 g/m3 से 710 g/m3 के बीच पाए गये हैं। परिवेशी वायु गुणवत्ता राष्ट्रीय मानकों के भीतर पाई गयी है।

दिन के समय ध्वनि स्तर 34.80 से 52.70 dB (A) के बीच पाया जाता है। रात के समय ध्वनि का स्तर 67.1 से 71.3 dB (A) के बीच पाया गया है शोर की गुणवत्ता राष्ट्रीय मानकों के भीतर है। भूजल के विश्लेषण के परिणाम निम्नलिखित प्रकट करते हैं:-

भूजल के विश्लेषण के परिणाम निम्नलिखित प्रकट करते हैं;

- पी.एच 7.51 से 7.72 के बीच पाया गया है।
- कुल कठोरता 251 से 281 मिलीग्राम/लीटर के बीच पाई गयी है।
- TDS 660 से 763 मिलीग्राम/लीटर के बीच पाया गया है ।

सतही जल के विश्लेषण के परिणाम निम्नलिखित प्रकट करते हैं;

- पी.एच 7.22 से 7.82 के बीच पाया गया है।
- DO 1.1 से 6.7 मिलीग्राम/लीटर के बीच के बीच पाई गयी है।
- COD 19 से 45 mg/L के बीच पाई गयी है।

विश्लेषण के परिणाम बताते हैं कि मिट्टी प्रकृति में बुनियादी है क्योंकि पी.एच मान 6.98 से 7.55 के बीच पाया गया है। जिसमें नाइट्रोजन 5 से 7 मिलीग्राम/किलोग्राम है। मिट्टी के नमूनों में फास्फोरस और पोटेशियम की सांद्रता अच्छी मात्रा में पाई गई है। परियोजना स्थल पर मिट्टी की बनावट रेतीली है।

वनस्पति और जीव: अध्ययन क्षेत्र में कोई राष्ट्रीय उद्यान या वन्यजीव अभ्यारण्य या बायोस्फीयर रिजर्व मौजूद नहीं है। अध्ययन क्षेत्र में वनस्पतियों और जीवों की कोई लुप्तप्राय प्रजाति नहीं पाई जाती है। अध्ययन क्षेत्र में वन्य जीवों का कोई प्रवासी गलियारा नहीं है।

2011 की जनगणना के अनुसार अध्ययन क्षेत्र की कुल जनसंख्या 97649 है। इसमें 83.3 प्रतिशत पुरुष और शेष 16.7 प्रतिशत महिलाएं हैं। जिसका, कुल जनसंख्या का 50.4 प्रतिशत ग्रामीण है और शेष 49.6 प्रतिशत शहरी है। इसके अलावा, कुल जनसंख्या का 12.5 प्रतिशत 0-6 आयु वर्ग के हैं। इनमें से लगभग 52.0 प्रतिशत पुरुष हैं और शेष 48.0 प्रतिशत महिलाएं हैं। अध्ययन क्षेत्र में कुल लिंगानुपात प्रति 1000 पुरुषों पर 985 महिलाओं के लिए निकाला गया है, जो प्रति 1000 पुरुषों पर 943 महिलाओं के राष्ट्रीय औसत से काफी अधिक है। ग्रामीण क्षेत्र में लिंगानुपात 996 महिला प्रति 1000 पुरुष और शहरी क्षेत्र में 942 महिला प्रति 1000 पुरुष है। अनुसूचित जाति समुदाय से संबंधित व्यक्तियों की कुल संख्या 14188 है जो कुल जनसंख्या का 14.5 प्रतिशत है। अनुसूचित जाति की जनसंख्या का लिंगवार वितरण पुरुष 49.6 प्रतिशत और महिला 50.4 प्रतिशत है, जिसमें प्रति एक हजार पुरुषों पर 1015 महिलाओं का लिंगानुपात दर्ज है। सड़क, रेल, स्कूल और अस्पताल जैसी सुविधाएं संतोषजनक हैं।

3.0 प्रत्याशित पर्यावरणीय प्रभाव और शमन के उपाय

धूल कच्चे माल की हैंडलिंग की दौरान दौरान उत्पन्न होने वाला मुख्य प्रदूषक है। कोयले की हैंडलिंग के दौरान धूल के उत्पादन को कम करने के लिए वाटर स्प्रिंकलर का उपयोग किया जाएगा। धूल उत्पादन को कम करने के लिए गीली धूल दमन प्रणाली स्थापित की जाएगी।

सभी बेल्ट कन्वेयर को कवर किया जाएगा। आंतरिक सड़कों को पक्का किया जाएगा।

कार्यशालाओं और अन्य कार्य क्षेत्रों में औद्योगिक वैक्यूम क्लीनर का उपयोग किया जाएगा। सभी आंतरिक सड़कों की दैनिक सफाई के लिए मैकेनिकल रोड स्वीपिंग मशीनें लगाई जाएंगी।

कोई औद्योगिक अपशिष्ट जल निर्वहन नहीं होगा क्योंकि संयंत्र को शून्य अपशिष्ट निर्वहन सिद्धांत पर डिजाइन किया जाएगा। सीवेज उपचार और निपटान के लिए सेप्टिक टैंक और उसके बाद सोक पिट उपलब्ध कराए जाएंगे। जीरो एफ्लुएंट डिस्चार्ज का नियम अपनाया जाएगा ।

100% अपशिष्ट जल का पुनर्चक्रण किया जाएगा और शून्य निर्वहन की स्थिति को बनाए रखा जाएगा। कम शोर उत्सर्जक संयंत्र और मशीनरी का चयन किया जाएगा। 33 प्रतिशत भूमि क्षेत्र को हरित पट्टी के रूप में विकसित किया जाएगा। संयंत्र की सीमा पर ध्वनि का स्तर 70 dB(A) से नीचे रखा जाएगा।

मौजूदा ट्रक मूवमेंट पैटर्न में कोई महत्वपूर्ण बदलाव नहीं होगा। परिवहन अधिकारियों के परामर्श से उपयुक्त यातायात प्रबंधन योजना लागू की जाएगी।

4.0 पर्यावरण निगरानी कार्यक्रम

पर्यावरण प्रबंधन प्रकोष्ठ (ई.एम.सी) की स्थापना नियमित पर्यावरण निगरानी के लिए की जाएगी। निर्धारित कानूनों और मानकों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए निगरानी की जाएगी। ई.एम.सी के प्रमुख प्लांट हेड को रिपोर्ट करेंगे। ई.एम.सी में योग्य कर्मचारियों की भर्ती की जाएगी। परिवेशी वायु, ढेर उत्सर्जन, क्षणभंगुर धूल उत्सर्जन, ध्वनि स्तर, भूजल गुणवत्ता, सतही जल गुणवत्ता और मिट्टी की पर्यावरण निगरानी मानदंडों के अनुसार की जाएगी। ई.एम.सी निम्नलिखित कार्यों के लिए जिम्मेदार होगा: –

की नियमित निगरानी :–

- फुजेटिव उत्सर्जन को मापना, काम के माहौल में PM2.5 और PM10 को मापना और सुधारात्मक और निवारक कार्रवाई शुरू करने के लिए किसी भी असामान्यता की रिपोर्ट करना।
- संयंत्र की सीमा पर, क्रेशर की हवा की दिशा और हवा के नीचे की दिशा में परिवेशी वायु (Ambient Air) गुणवत्ता को मापना।
- परियोजना क्षेत्र और आसपास के गांवों के पास भूजल की गुणवत्ता की जांच करना।
- साइट के अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम में मांड नदी और कुरकेट नदी की जल गुणवत्ता की जांच करना।

- संयंत्र की सीमा, निकटतम आवास, राजमार्ग के निकट, और कार्य क्षेत्रों में ध्वनि निगरानी की जांच करना।
- संयंत्र की सीमा के भीतर हरित पट्टी और हरियाली का विकास और रखरखाव का काम ।.

5.0 अतिरिक्त अध्ययन

आपात स्थिति में परियोजना क्षेत्र में आग से निपटने के लिए पर्याप्त अग्नि शमन उपाय सुनिश्चित किए जाएंगे। किसी भी दुर्घटना के दौरान जनस्वास्थ्य और सुरक्षा का ध्यान रखने के लिए आपदा प्रबंधन योजना तैयार की गई है।

टी.ओ.आर शर्तों के अनुसार अध्ययन के दौरान प्रस्तावित परियोजना के लिए जोखिम मूल्यांकन और जोखिम प्रबंधन जैसे विभिन्न अतिरिक्त अध्ययन किए गए; जोखिम मूल्यांकन और आपदा प्रबंधन योजना, पानी की उपलब्धता और सीवेज की गुणवत्ता, भूमिगत खनन के प्रभाव, यातायात अध्ययन, अवतल अध्ययन, जल विज्ञान अध्ययन, संचयी प्रभाव अध्ययन आदि के संदर्भ में। व्यक्ति और सामग्री की सुरक्षा के लिए लागू नियमों और निर्धारित विभिन्न नियमों के साथ देखभाल की जाएगी। उचित जोखिम मूल्यांकन और प्रबंधन किया जाएगा। आपदा प्रबंधन योजना लागू की जाएगी। प्रस्तावित परियोजना के कारण कुरकेट नदी एवं मांड नदी के जल की उपलब्धता एवं गुणवत्ता पर कोई प्रभाव नहीं पडेगा। परियोजना का पूरे दिन के साथ-साथ साइट के व्यस्ततम घंटों में यातायात/यातायात पर ना के बराबर प्रभाव पड़ेगा।

6.0 परियोजना के लाभ

प्रस्तावित परियोजना से अध्ययन क्षेत्र के सामाजिक-आर्थिक वातावरण पर सकारात्मक प्रभाव पड़ने की उम्मीद है। यह भौतिक अवसंरचनात्मक सुविधाओं के और विकास सहित इस क्षेत्र के विकास को बनाए रखने में मदद करता है।

परियोजना के निर्माण चरण के दौरान, दैनिक मजदूरी के आधार पर लगभग 50-100 लोगों को रोजगार मिलेगा और परिचालन चरण के दौरान लगभग 80 व्यक्तियों को सीधे रोजगार मिलने की उम्मीद है। परियोजना स्थल की स्थानीय आबादी को अर्धकुशल एवं अकुशल श्रेणी में उनकी योग्यता एवं क्षमता के अनुसार रोजगार हेतु वरीयता दी जायेगी। इससे आसपास के क्षेत्र में रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। प्रत्यक्ष रोजगार के अवसर के अलावा लगभग 100-150 व्यक्तियों के लिए विभिन्न अप्रत्यक्ष अवसर भी परियोजना के कारण उत्पन्न होंगे। अप्रत्यक्ष रोजगार में सेवा में अवसर जैसे दुकानें, परिवहन सुविधाएं, स्वास्थ्य देखभाल सुविधाएं आदि शामिल होंगे। प्रस्तावित परियोजना के खुलने के कारण निर्माण और संचालन चरण, सामाजिक-आर्थिक अवसरों में सुधार होगा। प्रस्तावित परियोजना के संचालन के कारण केंद्र और राज्य सरकार को राजस्व में योगदान देने की परिकल्पना की जाएगी जिसका उपयोग विभिन्न सार्वजनिक विकास और कल्याणकारी योजनाओं को बनाने के लिए किया जाएगा। क्षेत्र का विकास होगा।

परियोजना के चालू होने के कारण, परियोजना प्रस्तावक साइट पर और उसके आसपास कॉर्पोरेट सामाजिक जिम्मेदारी के तहत विभिन्न कार्यक्रमों का निष्पादन करेगा। कंपनी अधिनियम 2013 के तहत, कंपनी के पिछले तीन वर्षों के मुनाफे का 2% CSR का बजट होगा।

7.0 पर्यावरण प्रबंधन योजना

पर्यावरणीय प्रभावों के प्रभावी प्रबंधन और उपयुक्त प्रबंधन प्रक्रियाओं के माध्यम से पर्यावरण की समग्र सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए पर्यावरण प्रबंधन योजना विकसित की गई है। अनुशंसित शमन उपायों को लागू करने और ई.एम.पी को संस्थागत बनाने के लिए, 190 लाख रुपये का बजटीय प्रावधान का पूंजीगत व्यय किया गया है। आवर्ती वार्षिक व्यय पूंजीगत व्यय का 56.1 लाख रुपये होगा।

पर्यावरण प्रबंधन प्रकोष्ठ (ई.एम.सी) यह सुनिश्चित करेगा कि सभी वायु प्रदूषण नियंत्रण उपकरण, अपशिष्ट उपचार संयंत्र और जल पुनर्चक्रण प्रणाली प्रभावी ढंग से कार्य करें। ई.एम.सी, अधिकृत

विक्रेताओं को यूज़्ड गए तेल और स्नेहक और यूज़्ड बैटरियों के निपटान की निगरानी भी करेगा। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा जारी दिशा-निर्देशों का पालन करते हुए निर्माण चरण के दौरान वृक्षारोपण शुरू किया जाएगा। ई,एम,सी द्वारा संसाधन संरक्षण (कच्चा माल, पानी, आदि), वर्षा जल संचयन और सामाजिक वानिकी विकास की योजनाएं शुरू की जाएंगी। कर्मचारियों के लिए नियमित पर्यावरण जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे।

श्रमिकों का समय-समय पर स्वास्थ्य परीक्षण किया जाएगा। ई.एम.सी संयंत्र में साफ-सफाई और औद्योगिक स्वच्छता सुनिश्चित करेगी। ई.एम.सी सेफ्टी विभाग के सहयोग से संयंत्र के चालू होने के दौरान संभावित जोखिम की सम्भावनाओ का पूरा समीक्षा करेगी। समीक्षा से प्रदूषण उपशमन, संसाधन संरक्षण, दुर्घटना निवारण और अपशिष्ट न्यूनीकरण के लिए प्रस्तावित सुरक्षा उपायों को लागू करना सुनिश्चित होगा। ई.एम.पी के कार्यान्वयन से यह सुनिश्चित होगा कि परियोजना के सभी तत्व अपने पूरे जीवन चक्र में प्रासंगिक पर्यावरण कानून का पालन करते हैं।.

8.0 कंसलटेंट

आयरन ओर बेनेफिसिएशन प्लांट के ई.आई.ए/ई.एम.पी की तैयारी के लिए नियुक्त सलाहकार मैसर्स जी.आर.सी इंडिया प्राइवेट लिमिटेड हैं। जी.आर.सी इंडिया भारत में आई.एस.ओ 9001:2015, 14001:2015 और आई.एस.ओ 45000:2018 प्रमाणित अग्रणी पर्यावरण परामर्श कंपनी है। इसे राष्ट्रीय शिक्षा और प्रशिक्षण बोर्ड (NABET), क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया (QCI) द्वारा मान्यता प्राप्त है, जो भारत में सर्वोच्च मान्यता प्राधिकरण है। जी.आर.सी इंडिया प्राइवेट लिमिटेड ने एक आधुनिक अनुसंधान एवं विकास प्रयोगशाला की स्थापना की, जो आई.एस/आई.एस.ओ 9001:2015, आई.एस/आई.एस.ओ 14001:2015 और आई.एस/आई.एस.ओ 45001:2018 के अनुरूप है। विभिन्न अध्ययनों के साथ सभी परियोजना नमूनाकरण और विश्लेषण जी.आर.सी प्रयोगशालाओं द्वारा किया जाता है। प्रयोगशाला ने एन.ए.बी.एल से मान्यता प्राप्त की जिसे प्रक्रिया के अनुसार नवीनीकृत किया गया है (वर्तमान प्रमाणपत्र

संख्या टी.सी-7501 जोकि 25.04.2023 तक वैध है) और एम.ओ.ई.एफ.&.सी.सी (राजपत्र अधिसूचना संख्या एस.ओ. 388 (ई) दिनांक 10.02.2017) द्वारा मान्यता प्राप्त है।